



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 22 अप्रैल, 2006 ई0

बैशाख 02, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 729/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 22 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 पर दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 10, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2006

(अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2006)

31 मार्च, 2007 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये—

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम

उत्तरांचल की
समेकित निधि में
से वर्ष 2006-
2007 के लिये
रु0
109254564000
का दिया जाना

2-उत्तरांचल की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2006 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2006) की अनुसूची के स्तम्भ-7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) 109254564000 रुपये (दस हजार नौ सौ पच्चीस करोड़ पैंतालीस लाख चौसठ हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	78022	6611	84633
		पूंजी	0	0	0
02.	राज्यपाल	राजस्व	0	25346	25346
		पूंजी	0	0	0
03.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	268301	0	268301
		पूंजी	0	0	0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	390177	114653	504830
		पूंजी	180001	0	180001
05.	निर्वाचन	राजस्व	156123	0	156123
		पूंजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2245230	7950	2253180
		पूंजी	1210001	0	1210001
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	9760412	11432549	21192961
		पूंजी	1858970	4692015	6550985
08.	आबकारी	राजस्व	44208	0	44208
		पूंजी	5000	0	5000
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	39425	39425
		पूंजी	0	5000	5000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	3274249	0	3274249
		पूंजी	527001	0	527001
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	14622459	0	14622459
		पूंजी	1317774	0	1317774
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3846150	0	3846150
		पूंजी	1370904	0	1370904
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6291233	0	6291233
		पूंजी	40000	0	40000

1	2	3		
14.	सूचना	राजस्व	155985	0
		पूँजी	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	1493910	0
		पूँजी	125503	0
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	656109	0
		पूँजी	168001	0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1885434	0
		पूँजी	39600	0
18.	सहकारिता	राजस्व	217108	0
		पूँजी	150000	0
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	2651955	0
		पूँजी	552116	0
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1988737	0
		पूँजी	3452100	0
21.	ऊर्जा	राजस्व	459141	1
		पूँजी	4779115	0
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3094673	30640
		पूँजी	4414301	0
23.	उद्योग	राजस्व	883448	0
		पूँजी	1452503	0
24.	परिवहन	राजस्व	394111	0
		पूँजी	617501	0
25.	खाद्य	राजस्व	165737	0
		पूँजी	50000	0
26.	पर्यटन	राजस्व	237936	0
		पूँजी	578500	0
27.	वन	राजस्व	2984336	0
		पूँजी	935001	0
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	525502	0
		पूँजी	212898	0
29.	औद्योगिक विकास	राजस्व	608248	2665
		पूँजी	40000	0
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4251410	0
		पूँजी	3701841	0
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	672188	0
		पूँजी	816546	0
योग :		राजस्व	64302532	11659840
		पूँजी	28595177	4697015
महायोग :			92897709	16356855
				109254564

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।